

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-75/2015गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0006-उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ0पी0 के सुदृढीकरण हेतु एस0आर0ई0 स्कीम के तहत, विषय शीर्ष 27 01-लघु कार्य तथा विपत्र कोड N2055001090006 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष के उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0017-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, विषय शीर्ष 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा विपत्र कोड N2055001090017 के अंतर्गत कुल ₹ 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-75/2015 गृ0आ0.....⁴⁶³.....पटना, दिनांक 21/1/16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/
वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक
(बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



21.1.16

सरकार के प्रधान सचिव